सख्या 169 /XXIV(6)/2010

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
कुमांऊ विश्वविद्यालय,
नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 9 दिसम्बर, 2010

विषय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु आय–व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्याः केयू/लेखा/बजट/2010–11/926 दिनांक 03,नवम्बर 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आलोच्य वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु आय–व्यय के **आयोजनेत्तर पक्ष** में प्राविधानित धनराशि रूपये 17,00,00,000.00 (रूपये सत्रह करोड़ मात्र) के सापेक्ष कुमांऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल के कार्मिकों को वेतन भत्तों एवं परीक्षा संचालन हेतु शासनादेश संख्या : 169/xxiv(6)/2010 दिनांक 10,जून–2010 द्वारा रूपये 4,25,00,000.00 (रूपये चार करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में तथा शासनादेश संख्या : 169/xxiv(6)/2010 दिनांक 14,सितम्बर–2010 द्वारा रूपये 4,25,00,000.00 (रूपये चार करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में कतिपय शर्तो के अधीन स्वीकृत की गयी थी। विश्वविद्यालय के उक्त प्रस्तावानुसार **कार्मिकों के आगामी तीन माह के वेतन भत्तों के भुगतान एवं परीक्षा संचालन आदि** कार्यो हेतु तृतीय किश्त के रूप में **रूपये 4,25,00,000.00 (रूपये चार करोड़ पच्चीस लाख मात्र)** की धनराशि निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण यथा आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा । इस अनुदान के बिल पर जिला शिक्षा अधिकारी नैनीताल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जायेंगें ।

(2) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो ।

(3) **स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो वेतन के साथ अनुमन्य हों, तथा परीक्षा संचालन के कार्यो हेतु ही भुगतान किया जायेगा ।** अन्य मदों में व्यय हेतु फांट स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा । अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा ।

(4) जिन कार्मिकों ने राजकीय दर पर पेंशन का विकल्प दिया है, उनके जीपीएफ की धनराशि उनके वेतन से काटकर राजकीय कोषागार में नियमित रूप से जमा कराया जाये, उसे अन्यत्र जमा न किया जाये ।

(5) इस अनुदान का उपयोग अनुमोदित पदों, मदों पर ही किया जायेगा । अस्थायी रूप से इसका कोई भी भाग अन्य अनानुमोदित पदों, अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता, मानदेय कार्यो एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्ययावर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा ।

(6) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–आयोजनेत्तर–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–03–कुमांऊ विश्वविद्यालय–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम डाला जायेगा ।

(7) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या – 340(NP)/xxvii(3)/2010 दिनांक 29, नवम्बर–2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 169 /XXIV(6)/2010 दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून
2. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी जिला नैनीताल ।
3. उप निदेशक, उच्च शिक्षा, देहरादून ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड ।
7. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन ।
8. विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(नितेश कुमार झा)
अपर सचिव ।

09128